[2013] 8 एस.सी.आर. 163

लालू प्रसाद @लालू प्रसाद यादव बनाम झारखंड राज्य

(आपराधिक मुकदमा नं. 2013 का 1166)

13 अगस्त, 2013

[पी. सतशिवम, सीजेआई, रंजन प्रकाश देसाई और रंजन गोगोई, जेजे।)

आपराधिक मुकदमा- चारा घोटाला- अभियोजन 1997 में शुरू किया गया - लंबे समय तक सुनवाई के बाद, मामला अंतिम चरण में पहुंच गया, अर्थात् निर्णय की घोषणा - अपीलार्थी द्वारा इस स्तर पर विशेष न्यायाधीश चतुर्थ, सी. बी. आई. (ए. एच. डी.) के न्यायालय से मामले को सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य न्यायालय में इस आशंका पर स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका कि उपरोक्त न्यायालय द्वारा निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई नहीं की जा सकती है -

उच्च न्यायालय द्वारा खारिज- औचित्य - आयोजितः विशेष न्यायाधीश की फाइल से पूरे मामले को किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने के लिए अपीलार्थी के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है- केवल इसलिए कि दूर से संबंधित कुछ सदस्य वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में थे, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्ष निकालेंगे- यदि अपीलार्थी के मन में वास्तव में कोई आशंका थी, तो यह जल्द से जल्द समय पर उठाया जा सकता था, न कि साक्ष्य और तर्कों के समापन के बाद, विशेष रूप से निर्णय की घोषणा की पूर्व संध्या पर। - आदेश पारित करने की पूर्व संध्या पर पूर्वाग्रह से संबंधित आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है- इस प्रकृति के मामले में, मामले को अंतिम समय में किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है- इसके अलावा, विशेष न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को दोष नहीं दिया जा सकता है, सिवाय एक पहलू के जिसे उच्च न्यायालय अर्थात तर्कों के बीच पक्षों को सूचित करना और उन्हें एक विशेष तिथि पर या उससे पहले लिखित तर्क दायर करने के लिए मजबूर करना- उक्त उपाय को छोड़कर, जो योजना के अनुरूप नहीं है।

एक संहिता, विशेष रूप से, एक आपराधिक मुकदमे में, 1997 से लंबित मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यायाधीश के आचरण को दोष नहीं दिया जा सकता हैः- यदि कोई असुविधाजनकता हो तो उसे तर्क के लिए और समय देकर ठीक किया जा सकता है - अभियोजन पक्ष के लिए 5 दिनों और अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों के लिए 15 दिनों का और समय दिया गया- स्थानांतरण याचिका।

न्यायपालिका- स्वतंत्रता- जिम्मेदारी की पूरी भावना के साथ उच्च पद की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता- वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल विशेषता है- न्यायाधीश जो मुकदमे की अध्यक्षता करता है, लोक अभियोजक जो राज्य की ओर से मामला पेश करता है और वकील के रू-बरू न्यायमित्र जो अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है, उसे न्याय के सार्वजनिक हित में सद्भाव से काम करना चाहिए, जो अभियुक्त के व्यक्तित्व या राज्य के मामलों का प्रबंधन करने वालों से प्रभावित नहीं है कि मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चलाया जाना चाहिए और न्याय का प्रशासन निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए ।

न्याय प्रशासन- आयोजितः न्याय के प्रशासन में, न्यायाधीशों को बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण रूप से और कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

1994-95 में राजनेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर पशुपालन विभाग, बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा चाईबासा के ट्रेजरी से अवैध रूप से रुपये 35.66 करोड़ की राशि वापस लेने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आर.सी दिनांक 27.03.1996 को 20 (A)/ 1996 होने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 1208 के साथ पठित धारा 409,420,467,468,471,477,477क, 201,511 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 13 (2) के अधीन अनेक अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अपीलार्थी सहित भारतीय दंड संहिता की दिनांक 27.03.1996 को 20 (ए)/ 1996 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जाँच के बाद, वर्ष 1997 में विशेष न्यायाधीश चतुर्थ, सीबीआई (एए डी) रांची की अदालत में एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2000 में आईपीसी और पीसी अधिनियम के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के संबंध में आरोप तय किए गए थे

165 लालूप्रसाद @लालूप्रसाद यादव
बनाम राज्य

अभियोजन के पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ 22.04.2013 से 15.05.2013 तक अपने मामले में तर्क दिया और उसके बाद मामले को 16.05.2013 को अपीलार्थी की ओर से दिन-प्रतिदिन के आधार पर बहस करने के लिए पोस्ट किया गया जो 31.05.2013 तक जारी रहा। 10.06.2013 को, विशेष सीबीआई न्यायाधीश द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगली तारीख को, यदि अपीलार्थी की ओर से दलीलें आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो मामला बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद, 18.06.2013 तक 5 और दिनों के लिए दलीलें आगे बढ़ा दी गईं। दिनांक 20.06.2013 को विचारण न्यायाधीश द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें सभी पक्षों को सूचित किया गया था कि लिखित दलीलें 01.07.2013 को या उससे पहले दायर की जा सकती हैं और निर्णय 15.07.2013 को या उससे पहले दिया जाना है।

इस स्तर पर, क्रिमिनल मिस्क अपीलार्थी द्वारा विशेष न्यायाधीश चतुर्थ, सी. बी. आई. (ए. एच. डी.) के न्यायालय से मामले को सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य न्यायालय में इस आशंका पर स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी कि उपरोक्त न्यायालय द्वारा एक निष्पक्ष सुनवाई नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया जिसके परिणामस्वरूप विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील की गई।

अपीलार्थी ने दो प्रस्तुतियाँ कीं- 1) उस विचारण के संचालन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपीलार्थी को अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया जा रहा था और इस बात की पूरी संभावना थी कि उसे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए, यह स्थानांतरण के लिए एक उपयुक्त मामला था; और (ii) पीठासीन न्यायाधीश अपीलार्थी के एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से संबंधित था जो बिहार की सरकार में मंत्री भी था; और ऐसी परिस्थिति में, संबंध और निकटता के कारण, अपीलार्थी को पीठासीन न्यायाधीश के हाथों उचित न्याय नहीं मिल सकता है। .

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहाः

1.1. चारा घोटाला मामले के आदेश पत्रक सहित सभी विवरणों को देखने पर, यह स्पष्ट है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में केवल एक पहलू को छोड़कर त्रुटि नहीं की जा सकती है, जिसे उच्च न्यायालय ने भी पक्षकारों को तर्कों के बीच में सूचित करते हुए और उन्हें लिखित रूप में फाइल करने के लिए विवश करते हुए देखा थाः दिनांक 01.07.2013 को या उससे पूर्व तर्क और 15.07.2013 को निर्णय सुनाया जाना है। उक्त उपाय को छोड़कर, जो संहिता, योजना के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से आपराधिक मुकदमे में, 1997 से लंबित मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यायाधीश के आचरण को दोष नहीं दिया जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अभियुक्तों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए और समय प्रदान करने के लिए इच्छुक है, यदि वे चाहें। [पैरा 8) [172-ई-एच]

1.2. केवल इसलिए कि दूर से संबंधित कुछ सदस्य वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में थे, यह नहीं माना जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्ष निकालेंगे। मान लीजिए, उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई उसी न्यायाधीश द्वारा नवंबर, 2011 से की गई थी। गवाहों से पूछताछ करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, यह स्पष्ट नहीं है कि इस स्तर पर अपीलार्थी को ऐसी आशंका कैसे है। यदि अपीलार्थी के मन में वास्तव में कोई आशंका थी, तो इसे जल्द से जल्द उठाया जा सकता था, न कि साक्ष्य और तर्कों के समापन के बाद, विशेष रूप से निर्णय की घोषणा की पूर्व संध्या पर। न्याय के प्रशासन में, न्यायाधीशों को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

एकमात्र त्रुटि जो विशेष न्यायाधीश ने की है वह यह है कि तर्क के लिए समय देने के बाद, उसने अचानक एक नोटिस जारी किया जिसमें पक्षों को सूचित किया गया कि लिखित तर्क 01.07.2013 को या उससे पहले प्रस्तुत किए जाने हैं और निर्णय को 15.07.2013 या उससे पहले दिया जाएगा ।

167 लालूप्रसाद @लालूप्रसाद यादव
बनाम राज्य 167

असुविधाजनकता, यदि कोई हो, को द्वारा तर्क के लिए और समय देकर सही किया जा सकता है। तदनुसार, अपीलार्थी के पूरे मामले को विशेष न्यायाधीश की फाइल से किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन 1997 में शुरू किया गया था और लंबे मुकदमे के बाद, मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है, अर्थात् निर्णय की घोषणा। इस तरह के मामले में, अंतिम समय में मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है।
[पैरा 10] [174-सी-एच; 175-ए]

1.3. पूरे तथ्यात्मक परिदृश्य के आलोक में, विशेष रूप से, पक्षपात से संबंधित आपत्ति जो मुकदमे के अंतिम अंत में जो आदेश पारित करने की पूर्व संध्या पर उठाई गई थी, यह न्यायालय ऐसी आपत्ति को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठासीन न्यायाधीश व्यक्त शिकायत पर ध्यान देगा और अपीलार्थी की आशंका को समाप्त करेगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक वादी को निष्पक्ष न्याय का अधिकार है। [पैरा 12] [175-डी]

1.4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल विशेषता है। यह माँग करता है कि एक न्यायाधीश जो विचारण की अध्यक्षता करता है, लोक अभियोजक जो राज्य की ओर से मामला प्रस्तुत करता है और वकील बनाम न्यायमित्र जो अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है, को अभियुक्त के व्यक्तित्व या राज्य के एफ मामलों का प्रबंधन करने वालों से अप्रभावित न्याय के सार्वजनिक हित में सद्भाव से काम करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके काम से न्याय और न्यायशास्त्र के बीच टकराव पैदा न हो। एक व्यक्ति चाहे वह न्यायिक अधिकारी हो या लोक अभियोजक या अभियुक्त का बचाव करने वाले वकील को हमेशा अपने उच्च पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में इसके मूल्य का अवमूल्यन न हो। जनहित की मांग है कि मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चलाया जाना चाहिए और न्याय का प्रशासन निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा।
[पैरा 13] [175-ई-जी] एच

1.5 उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध और स्वीकार्य कारण नहीं है।

हालांकि, प्रस्तुत की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि दलीलें अभी भी आगे बढ़ाई जानी हैं, अभियोजन के लिए 5 दिनों का और समय दिया गया है और अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित तर्कों के पूरा होने के बाद, विशेष न्यायाधीश उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, जल्द से जल्द निर्णय सुनाएगा। [पैरा 14) [176-ए-बी]

***मानक लाल, अधिवक्ता बनाम डॉ. प्रेम चंद सिंघवी और अन्य*। एआईआर 1957 एससी 425:1957 एससीआर 575-संदर्भित।**

मामला विधि संदर्भः

1957 एस. सी. आर. 575 पैरा 9 को निर्दिष्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं। 2013 का 1166।

झारखंड के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.07.2013 से, रांची में सीआरएल में एमपी. नं. 2013 का 1619.

मोहन परासरन, S.G., राम जेठमलानी, पी एच पारेख, शांति भूषण, ई.आर. कुमार, करण कालिया, प्रणव दीश, पी.आर. माला, गालव शर्मा, एकनाथ मिश्रा (पारेख एंड कंपनी) डी.एल. चिदानंद, अनुपम प्रसाद, रोहित शर्मा, B.V. बलराम दास, रोहित के. सिंह, गोपाल सिंह, कार्तिक सेठ, मनीष कुमार उपस्थित पार्टियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय

पी. सतशिवम सीजेआई 1 ने दिया। अनुमती मंजूर की गई।

2. यह अपील आपराधिक विविध मामले में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2013 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। याचिका नं. 1619 का2013 तहत, उच्च न्यायालय द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसके एक अपीलार्थी विशेष न्यायाधीश- IV, सी. बी. आई., (ए. एच. ओ.) रांची के न्यायालय से सक्षम अधिकारिता के किसी अन्य न्यायालय को यहाँ स्थानांतरित करने के लिए मामला आर.सी नं. 20 (क) /1996 अंतर्गत जा रहा था ।

169 लालू प्रसाद @लालू प्रसाद _ यादव

बनाम

झारखंड का राज्य

[पी. सतशिवम, सीजेआई।]

3. संक्षिप्त तथ्यः

(ए) यह अपील वर्ष 1994- बी 95 में राजनेताओं और आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत से बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा चाईबासा के कोषागार से Rs.35,66,42,086/- की राशि की अवैध निकासी से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का पंजीकरण R.C. नं. 20 (क)/ 1996 दिनांक 27.03.1996 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 1208 के साथ पठित धारा 409,420,467,468,471,477 क, 201,511 (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 13 (2) (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम') के अधीन अपीलार्थी सहित अनेक अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दायर हुई।

(बी) जाँच के बाद, विशेष न्यायाधीश चतुर्थ, सी. बी. आई. (ए. एच. डी.) रांची के न्यायालय में वर्ष 1997 में एक आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया था और आई. पी. सी. और पी. सी. अधिनियम के अधीन दंडनीय विभिन्न अपराधों के संबंध में वर्ष 2000 में आरोप बनाए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें शुरू कीं और 10.12.2012 को निष्कर्ष निकाला और 45 अभियुक्त व्यक्तियों में से 43 की ओर से दी गई दलीलें 25.02.2013 को समाप्त हो गईं। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ 22.04.2013 से 15.05.2013 तक अपने मामले में तर्क दिया और उसके बाद, मामले को अपीलार्थी की ओर से तर्क के लिए 16.05.2013 को पोस्ट किया गया जो 31.05.2013 तक जारी रहा। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामला ' 1997 से लंबित है, निम्न न्यायालय ने दिनांक 10.06.2013 को एक आदेश पारित किया कि अगली तारीख को, यदि अपीलार्थी की ओर से तर्क प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो इसे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद, दलीलें 06.2013 तक आगे बढ़ा दी गईं। 20.06.2013 को, ट्रायल जज द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें सभी पक्षों को सूचित किया गया था कि लिखित तर्क निर्णय 15.07.2013 को या उससे पहले 01.07.2013 को या उससे पहले दायर किए जा सकते हैं ।

इस स्तर पर, क्रिमिनल मिश्रित याचिका नं. 2013 का 1619 अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था विशेष न्यायाधीश चतुर्थ, सी. बी. आई. (ए. एच. ओ.) के न्यायालय से, मामले को सक्षम अधिकारिता के किसी अन्य न्यायालय में, इस आशंका पर स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 का 1619 दायर किया गया था कि उपरोक्त न्यायालय द्वारा निष्पक्ष विचारण नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने, प्रत्यर्थी प्रस्तुतियों पर विचार करने और इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि मामला निर्णय देने के चरण में पहुंच गया है, दिनांक 01.07.2013 के आदेश द्वारा, दलीलों के समापन के लिए 10 दिनों का एक और समय प्रदान किया और याचिका को खारिज कर दिया जिसके परिणामस्वरूप विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील हुई।

जिस दिन मामला सुनवाई के लिए रखा गया था, उसी दिन बिहार राज्य के मुंगेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आपराधिक विविध धाराओं के तहत उपर्युक्त अपील में हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका नं. 2013 का 14939 दायर किया था।. यह भी कहा गया था कि वह जनहित में दायर एक रिट याचिका में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिसके कारण 1977 से 1996 की अवधि के दौरान बिहार राज्य में चारा घोटाले का खुलासा हुआ। उनके अनुसार, वह मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और मुकदमे के शीघ्र समापन के लिए लड़ते रहे हैं ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके और न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास डगमगा न जाए। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय की निगरानी पीठ के विभिन्न आदेशों के कारण, मामला अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, इसलिए, कोई प्रामाणिक नहीं है और अपीलार्थी का दावा किसी भी योग्यता से रहित है और न्याय के हित में खारिज किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी- राज्य द्वारा अपने जांच अधिकारी- सी. बी. आई. के माध्यम से आपराधिक मुकदमे में हस्तक्षेप करने वाले की भूमिका के बारे में गंभीर आपत्ति जताई गई थी।

4. श्री राम जेठमलानी अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री मोहन परासरन, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ; प्रतिवादी- सी. बी. आई. और श्री शांति भूषण के लिए, हस्तक्षेपकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील को सुना।

171 लालू प्रसाद @लालू प्रसाद यादव

बनाम

झारखंड राज्य

[पी. सतशिवम, सीजेआई।]

प्रस्तुतियाँ:

5. अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री राम जेठमलानी ने सबसे पहले निम्नानुसार प्रस्तुत कियाः-

(i) विचारण न्यायाधीश का आचरण उचित न्याय न मिलने की उचित देता है। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार, विचारण न्यायाधीश के आचरण से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया जा रहा था और इस बात की पूरी संभावना है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए, यह स्थानांतरण के लिए एक उपयुक्त मामला है; और

(ii) सीबीआई के पीठासीन न्यायाधीश की छोटी बहन, अर्थात्, श्रीमती मीनू देवी, का विवाह श्री पी. के. के चचेरे भाई श्री जैनेंद्र शाही से हुआ है। शाही, जो सीबीआई की ओर से पेश होने के अलावा, जनहित याचिकाओं में अपीलार्थी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं।

श्री जेठमलानी के अनुसार ऐसी परिस्थिति में संबंध और निकटता के कारण अपीलार्थी को पीठासीन न्यायाधीश के हाथों उचित न्याय नहीं मिल सकता है।

6. दूसरी ओर, सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल श्री मोहन परासरन ने तथ्यात्मक परिदृश्य पर ध्यान देने के बाद इस मुद्दे को इस न्यायालय के निर्णय पर छोड़ दिया, हालांकि उन्होंने हस्तक्षेप के लिए आवेदन की स्थिरता के बारे में दृढ़ता से बताया।

7. हस्तक्षेपकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने तथ्यात्मक विवरणों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि संज्ञान लेने, आरोप पत्र दाखिल करने, विभिन्न तिथियों जिन पर दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व किया गया था और अग्रिम दलीलों से शुरू होने वाले इस मोड़ पर यह स्थानांतरण के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, विशेष रूप से जब विशेष न्यायाधीश जल्द ही निर्णय सुनाने रहे हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक ने उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की हैं साथ ही इस न्यायालय में 'चारा घोटाले' से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

चर्चाः

8. अपीलार्थी के मन में आशंका से संबंधित पहली प्रस्तुति के संबंध में कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल सकती है, यह इंगित करना प्रासंगिक है कि आईपीसी और पीसी अधिनियम के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों का संज्ञान वर्ष 1997 में अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ लिया गया था और वर्ष 2000 में उनके खिलाफ आरोप बनाए गए थे ने आगे देखा कि अभियोजन पक्ष को गवाहों से पूछताछ करने में 13 साल लगे। अभियोजन पक्ष ने वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ 22.04.2013 से 15.05.2013 तक अपने मामले में तर्क दिया और उसके बाद मामले को 16.05.2013 को अपीलार्थी की ओर से दिन- प्रतिदिन के आधार पर बहस करने के लिए पोस्ट किया गया जो 31.05.2013 तक जारी रहा। अपीलार्थी की यह शिकायत है कि 10.06.2013 को विशेष न्यायाधीश द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगली तारीख को यदि अपीलार्थी की ओर से दलीलें नहीं दी जाती हैं तो मामला बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद, 18.06.2013 तक 5 और दिनों के लिए दलीलें आगे बढ़ा दी गईं।

20.06.2013 को, ट्रायल जज द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें सभी पक्षों को सूचित किया गया था कि लिखित तर्क 01.07.2013 को या उससे पहले दायर किए जा सकते हैं और निर्णय 15.07.2013 को या उससे पहले दिया जाना है। चारा घोटाला मामले के आदेश पत्रक सहित सभी विवरणों को देखने पर, हमारा विचार है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के एक पहलू को छोड़कर दोष नहीं दिया जा सकता है, जिसे उच्च न्यायालय ने भी पक्षकारों को सूचित किया था और उन्हें 01.07.2013 को या उससे पहले लिखित दलीलें दायर करने के लिए मजबूर किया था और 15.07.2013 को निर्णय सुनाया जाना था।

उक्त उपाय को छोड़कर, जो संहिता की योजना के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से आपराधिक मुकदमे में, 1997 से लंबित मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यायाधीश के आचरण को दोष नहीं दिया जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अभियुक्तों के साथ- साथ अभियोजन पक्ष को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए और समय प्रदान करने के लिए इच्छुक है, यदि वे चाहें।

173 लालू प्रसाद @लालू प्रसाद यादव

बनाम

झारखंड का राज्य

[पी. सतशिवम, सीजेआई।]

9. सत्ता में व्यक्ति के साथ ट्रायल जज की निकटता के बारे में दूसरी आशंका पर आते हुए, यह बताया गया है कि श्री पी के शाही, बिहार राज्य के पूर्व महाधिवक्ता, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री, ट्रायल जज के करीबी रिश्तेदार हैं। आगे विस्तार से बताते हुए, श्री राम जेठमलानी ने प्रस्तुत किया कि पीठासीन न्यायाधीश, श्रीमती मीनू देवी की बहन का विवाह स्वर्गीय फुलेना शाही के पोते श्री जैनेंद्र शाही से हुआ है, जिनके भाइयों में से एक स्वर्गीय हरि शंकर शाही और श्री पी. के. शाही थे। श्री पी. के. शाही स्वर्गीय हरि शंकर शाही के पोता होते हैं और इस तरह जैनेंद्र शाही, ट्रायल जज की बहन का पति श्री पी. के. शाही का चचेरा भाई होते हैं । श्री पी. के. शाही, जो अपीलार्थी की पार्टी से संबंधित उम्मीदवार के हाथों संसदीय चुनाव में अपनी हार के कारण अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अपना प्रभाव बनाकर स्कोर को निपटाने के लिए काफी उत्सुक हैं ताकि अपीलार्थी की राजनीतिक मृत्यु हो जाए। उपरोक्त पहलू के संबंध में, श्री जेठमलानी ने मानक लाल, अधिवक्ता बनाम डॉ. प्रेम चंद सिंघवी और अन्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 425 में इस न्यायालय के एक निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि पूर्वाग्रह के संबंध में, वास्तविक पूर्वाग्रह का प्रमाण आवश्यक नहीं है।

इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन कियाः "

4..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायाधिकरण का प्रत्येक सदस्य जिसे न्यायिक या अर्ध- न्यायिक कार्यवाही में मुद्दों का परीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है, उसे न्यायिक रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए; और यह न्यायिक निर्णयों और न्यायिक प्रशासन का सार है कि न्यायाधीशों को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे मामलों में परीक्षण यह नहीं है कि क्या वास्तव में किसी पक्षपात ने निर्णय को प्रभावित किया है; परीक्षण हमेशा यह होता है और होना चाहिए कि क्या कोई वादी यथोचित रूप से यह समझ सकता है कि न्यायाधिकरण के किसी सदस्य के कारण होने वाला पक्षपात न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय में उसके खिलाफ हो सकता है। यह इस अर्थ में है कि अक्सर यह कहा जाता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए.....

10. पूर्वाग्रह से संबंधित विवाद को साबित करने के लिए कि पीठासीन न्यायाधीश अपने बहनोई या यहां तक कि अपनी बहन या श्री पी. के. शाही द्वारा प्रभावित होगा और अपीलार्थी के हितों के विरुद्ध जा सकता है, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी ने 13.01.2013 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की श्री पी. के. शाही के पैतृक घर हाउस नं. 147 गाँव अंगोटा ब्लॉक, नौतन पी एस., जिला सीवान की यात्रा के दौरान पूरे शाही परिवार के साथ खींची गई कुछ तस्वीरें पेश कीं । इन तस्वीरों को दिखाकर, यह तर्क दिया जाता है कि पीठासीन न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना की एक उचित आशंका है। संबंध के अलावा, जैसा कि अपीलार्थी ने उल्लेख किया है, हमें वंशावली तालिका भी दिखाई गई थी। हमारी राय में, केवल इसलिए कि दूर से संबंधित कुछ सदस्य वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में थे, यह नहीं माना जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्ष निकालेंगे। मान लीजिए, उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई उसी न्यायाधीश द्वारा नवंबर, 2011 से की गई थी। गवाहों से पूछताछ करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी को इस स्तर पर ऐसी आशंका कैसे है। यदि अपीलार्थी के मन में वास्तव में कोई आशंका थी, तो इसे जल्द से जल्द उठाया जा सकता था, न कि साक्ष्य और तर्कों के समापन के बाद, विशेष रूप से निर्णय की घोषणा की पूर्व संध्या पर। न्याय देने में, न्यायाधीशों को निष्पक्ष रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। केवल एक बात जो, हमारे अनुसार, यह है कि विशेष न्यायाधीश ने एक त्रुटि की है कि वाद- विवाद के लिए समय देने के पश्चात्, पक्षकारों को यह सूचित करते हुए कि लिखित वाद- विवाद 01.07.2013 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाने हैं, अचानक एक सूचना जारी की कि निर्णय 15.07.2013 को या उससे पूर्व दिया जाएगा। जैसा कि पहले देखा गया है, कि यदि तर्क के लिए कोई असुविधा हो तो और समय देकर ठीक किया जा सकता है। तदनुसार, अपीलार्थी के पूरे मामले को विशेष न्यायाधीश की फाइल से किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। हम पहले ही इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं कि अभियोजन 1997 में और उसके बाद शुरू किया गया था लंबे समय तक सुनवाई के बाद अर्थात् निर्णय की घोषणा के पास मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है ।

175 लालू प्रसाद @लालू प्रसाद यादव

बनाम

झारखंड राज्य

[पी. सतशिवम, सीजेआई।]

हमारे विचार में अंतिम समय में इस प्रकार के मामले में, मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है।

11. यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि स्थिति / प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मामले की निगरानी की जा रही थी। हमने यह भी देखा कि रांची उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.06.2013 के आदेश द्वारा निचली अदालत को मामले में तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया। वास्तव में, न्यायालय ने विचारण न्यायाधीश को 06.08.2013 तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

12. पूरे तथ्यात्मक परिदृश्य के आलोक में, विशेष रूप से, पक्षपात से संबंधित आपत्ति जो मुकदमे के अंतिम अंत में, जो आदेश पारित करने की पूर्व संध्या पर हुई थी, जैसा कि पहले देखा गया है, हम इस तरह की आपत्ति को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। पीठासीन न्यायाधीश, हमारे विचार में, व्यक्त शिकायत पर ध्यान देगा और अपीलार्थी की आशंका को समाप्त करेगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक वादी को निष्पक्ष न्याय का अधिकार है।

13. न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल विशेषता है। यह मांग करता है कि एक न्यायाधीश जो मुकदमे की अध्यक्षता करता है, लोक अभियोजक जो राज्य की ओर से मामला पेश करता है और वकील बनाम न्याय मित्र जो अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है, उसे न्याय के सार्वजनिक हित में सद्भाव से काम करना चाहिए, जो अभियुक्त के व्यक्तित्व या राज्य के मामलों का प्रबंधन करने वालों से अप्रभावित हो। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके काम से न्याय और न्यायशास्त्र के बीच टकराव पैदा न हो। एक व्यक्ति चाहे वह न्यायिक अधिकारी या लोक अभियोजक या अभियुक्त का बचाव करने वाले वकील हो को हमेशा जिम्मेदारी की पूरी भावना के साथ अपने उच्च पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में इसके मूल्य का अवमूल्यन न हो। जनहित की मांग है कि मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चलाया जाना चाहिए और न्याय का प्रशासन निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा।

14. ऊपर जो कहा गया है उसके आलोक में, हमें उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई एक वैध और स्वीकार्य कारण नहीं मिलता है।

हालांकि, प्रस्तुत की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि दलीलें अभी भी आगे बढ़ाई जानी हैं, हम अभियोजन के लिए 5 दिनों और अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों के लिए 15 दिनों का और समय देते हैं। निर्धारित तर्कों को पूरा करने के बाद, हम विशेष न्यायाधीश को उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित, जल्द से जल्द निर्णय सुनाने का निर्देश देते हैं।

15. अपील को उपरोक्त निर्देश के साथ खारिज कर दिया जाता है। उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, रखरखाव पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हस्तक्षेप के लिए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।